10 DECEMBER 1948

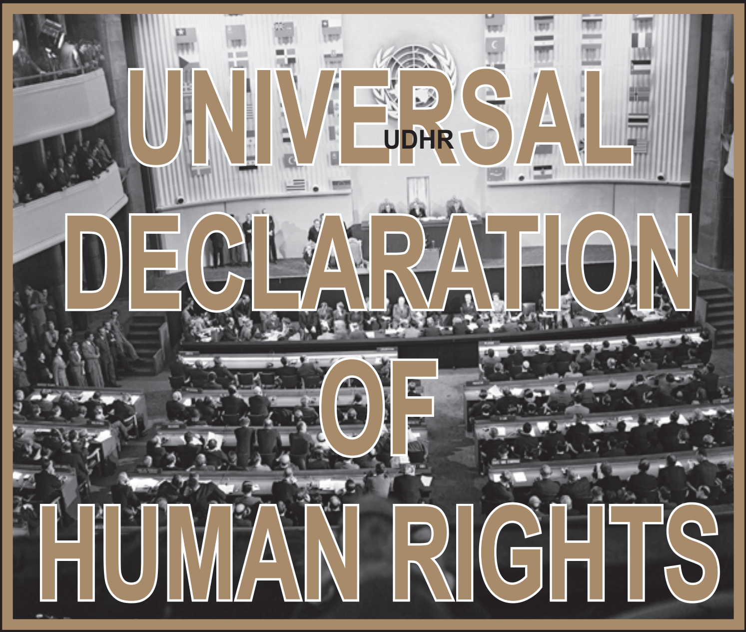

कैम्प कार्यालय

शॉप नं. 101, ब्लाक नं. 43, अपोजिट आईसीआईसीआई बैंक
संजय प्लेस, आगरा (उ.प्र.) - 282002 M: 09720080832, 9997846451

सर्व भूत हिते रताः
(सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याणार्थ/प्रयासरत)

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण
RASHTRIYA MANVADHIKAR SARVEKSHAN

सत्यमेवः जयते

सुरक्षा का द्वार मानव अधिकार
सत्यमेव जयते

1456 NF 2014

सुरक्षा का द्वार

केन्द्रीय कार्यालय-

D-2 गली नं.-4, सादतपुर एक्सटेंशन, जगमाल गार्डन के पास, करावल नगर, दिल्ली- 110094
M. : 09718986659, 09837217279, 09458677129
E-mail : rms14@gmail.com, Website : www.rms14.com

प्रेरणा गीत

न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम
सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी,
सदा जो जगाये बिना ही जगा है
अंधेरा उसे देखकर ही भगा है
वही बीज पनपा, पनपना जिसे था
भुना क्या किसी के उगाये उगा है
अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम
प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी
न हो साथ कोई अकेले ....
सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं
वही दूसरे को देखकर कुढ़े हैं
बिना पंख तौले उड़े जो गगन में
न सम्बन्ध उनसे गगन से जुड़े हैं
अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम
प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी
न हो साथ कोई अकेले ....
न जो बर्फ की आँधियों से लड़े हैं
कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं
जिन्हें लक्ष्य से कम, अधिक प्यार खुद से
वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं
अगर जी सको तो जूझकर तुम
अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी
न हो साथ कोई अकेले ....

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/1456/NE/2014 /~~2012~~

I hereby certify that "Rashtriya Manvadhikar Sarvekshan"

Located at C-556, Gali No. 8, Shiv Vihar, Phase-2, Karawal Nagar, Delhi-110094. has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.

Give under my hand at Delhi on this 15th day of April Two Thousand ~~Twelve~~ Fourteen.

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal

Registration of Societies
DELHI

(Ashish Kumar)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

* This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860 However any Govt. department or any other association/ person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liablities of the society before entering into any contract/assignment with them.)

भारतीय जनता पार्टी

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
पूर्व संसद सदस्य
लोकसभा एवं राज्य सभा

44, एम.आई.जी.
न्यू शाहगंज, आगरा
दूरभाष : 0562-2213422

प्रिय श्री इंजी. शिवशंकर कौशल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि मानवाधिकार सर्वेक्षण पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। संस्था मानव अधिकारों से संरक्षण का कार्य कर रही है। पत्रिका के प्रकाशन से मानव अधिकारों के हनन में कमी आयेगी।

शुभकामनाओं सहित!

सादर!

भवदीय

130.	504	शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी को अपमानित करना	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
131.	505	झूठे भाषण या भड़काऊ भाषण देना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
132.	506	धमकी देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
133.	507	अनाम धमकियाँ देना।	ऊपर की धारा के अधीन दण्ड के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों।
134.	508	जबरदस्ती किसी को प्रसाद इत्यादि खिलाना।	एक वर्ष के लिए सादा सादा कारावास, जुर्माना या दोनों।
135.	509	किसी स्त्री का अनादर करना तथा कोई अंग पकड़ना।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों।

जारीकर्ता–
मानवाधिकार सर्वेक्षण कानूनी सलाहकार

119.	449	मृत्यु करने के उद्देश्य से किसी घर पर जबरदस्ती घुसना।	आजीवन कारावास या या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
120.	456	रात्रि के समय जबरदस्ती घुसना अथवा गृह का भेदन।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
121.	465	धोखधड़ी।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
122.	477	झूठे बिल बनाना या नष्ट करना।	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
123.	477	झूठे एकाउन्ट पेश करना अथवा बनाना।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
124.	490	प्रकाशन का नाम व पता बताने पर इन्कार करना।	200 रू. का जुर्माना।
125.	493	किसी पुरूष द्वारा बिना विधि पूर्वक शादी करना तथा उसे विश्वास में लेकर सहवास करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
126.	494	पति अथवा पत्नी के होते हुए दोबारा शादी करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
127.	498	विवाहित सभी को अपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या गैर कानूनी रूप से रोकना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
128.	498क	विवाहित स्त्री के प्रति क्रूर या अमानवीय व्यवहार करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
129.	500	मान–हानि।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

Gautam's
Renal Stone, Skin & Chronic Diseases Centre
ADVANCE HOMOEOPATHY
Dr. Anil Gautam
D.H.M.S.

प्रिय श्री इंजी. शिवशंकर कौशल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण ने एक अनूठे संगठन की तरह कदम रखा है जो कि मानवीय मूल्यों की जानकारी एवं सुरक्षा के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। इससे जुड़े समाज के सभी वर्ग एवं धर्मों के लोग देश के सभी व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों के हनन की सुरक्षा के लिए पूर्णतः मन एवं संसाधनों से सेवा कार्य में जुटे रहने के लिए तत्पर हैं। जहाँ पर भी वे मानवीय मूल्यों का हनन एवं उल्लंघन होते हुए पाते हैं। अपने स्तर पर त्वरित कार्य में जुट जाते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि हम सभी एकजुट होकर अपने संगठन के दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे और मानव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होंगे।

भवदीय

अपील

अन्त में राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण समाज के प्रबुद्धजनों, डाक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों, उच्च पदाधिकारी वकीलों, न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों, समाजसेवियों, पत्रकारों से अपील करता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये तथा गरीब, बेसहारा, मासूमों मजलूमों को उत्पीड़न से संरक्षा–सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में चल रहे हमारे इस पवित्र अभियान में शरीक होकर मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करें।

संगठन में हर स्तरों पर कार्यकर्ता गठन प्रक्रिया चल रही है तथा मानवीय सदस्यों को उनकी योग्यता, कार्यक्षमता, उपयोगिता के आधार पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही है। जिससे यह लोग जनता को जागरूक करके उनके अधिकारों की शान्तिपूर्ण न्यायिक लड़ाई को लड़ सकें। आप सभी हमारे साथ जुड़ें आपका हार्दिक स्वागत है।

के.पी. गौतम

(राष्ट्रीय संगठन सचिव)

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

109.	413	चोरी के माल को बेचना अथवा खरीदना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
110.	414	चोरी के माल को छिपाना	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
111.	419	चीटिंग, छल, ठगी करना।	तीन वर्ष के के लिए कारावास या जुर्माना और दोनों।
112.	420	जाली कागजात तैयार करना कागजातों में फेर बदल करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
113.	421	लेनदारों में बंटवारा करने के लिए सम्पत्ति का छल द्वारा छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
114.	426	बुरा बर्ताव व बदसलूकी।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
115.	427	50 रूपये या उससे अधिक का नुकसान पहुंचाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
116.	428	10 रूपये या उससे अधिक मूल्य के जीव–जन्तु का वध करने के लिए जहर देना या विकलांग करना।	उपरोक्त।
117.	447	अपराधिक उद्देश्य से जबरदस्ती किसी परिसर में प्रवेश करना।	तीन माह के लिए कारावास या 500रू. का जुर्माना।
118.	448	घर पर जबरदस्ती कब्जा करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू. का जुर्माना या दोनों।

98.	393	लूट करने का प्रयत्न।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
99.	394	लूट करने के उद्देश्य से शारीरिक चोट पहुंचाना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
100.	395	डकैती।	उपरोक्त।
101.	396	डकैती में हत्या।	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
102.	397	हत्या, लूट व डकैती।	सात वर्ष से कम न होने वाला कठिन कारावास।
103.	398	खतरनाक हथियार लेकर लूट या डकैती करने की कोशिश।	उपरोक्त।
104.	399	डकैती की योजना अथवा तैयारी।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
105.	400	गैंग डकैती संगठित अपराध	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
106.	401	गैंग चोरी	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
107.	402	डकैती करने के उद्देश्य से पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना। चुराई गई सम्पत्ति को जानने बाद भी कि वह चुराई गई सम्पत्ति है उसे प्राप्त करना।	सात वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना।

वंदे मातरम्

वन्दे मातरम्! वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज्–शीतलाम्॥

शस्य–श्यामलां मातरम्।

वन्दे मातरम्॥

शुभ्रज्योत्स्ना – पुलकित – यामिनीम्।

फुल्लकुसुमित – द्रुमदल – शोभिनीम्॥

सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम्,

वन्दे मातरम्॥

कोटि–कोटि कण्ट– कलकल – विनाद करो।

द्वित्रिशत्कोटिभुजैर्धृतखरकरवाले॥

अबला केन मा एत बले।

बहुबलधारिणी नमामि तारिणीम्॥

रपुदलवारिणी मातरम्।

वन्दे मातरम्॥

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण गान

ना भ्रष्टाचार करेंगे कभी और न ही करने देंगे हम
अपराध–मुक्त समाज भारत माँ को देंगे हम
प्रताड़ित करना व प्रताड़ना सहना दोनों मानवता के है खिलाफ
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

कण–कण में फैला भ्रष्टाचार हर पग पर मिलता दुराचार
यह करनी है हम सबकी, यह कमी भी है हम सबकी
उठो, चेतो, जागो, जगाओ, नव क्रान्ति की जोत जलाओयह है
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

हमें भेद–भाव मिटाना है हमें सबको गले लगाना है
नफरत के काँटों को मिटा, हमें प्यार के फूल खिलाना है
अलगाववाद को जड़ से खोद भाईचारे का स्वर्ग सजाना है
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

यह काम तो है बहुत कठिन, करने होंगे हमें लाखों जतन
हम निश्चय ही होंगे कामयाब, पक्की है हमारी निष्ठा लगन
UDHR के सिंहनाद में सब अपना कंठ मिलाओ
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

88.	376क	अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
89.	376ख	सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में रखी गयी स्त्री के साथ संभोग करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
90.	376ग	जेल प्रति प्रेक्षणगृह के कार्यालय अधीक्षक एव अधीक्षिका द्वारा संभोग कराना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
91.	376घ	किसी अस्पताल के प्रबन्धक आदि द्वारा किसी स्त्री के साथ संभोग करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
92.	377	प्राकृतिक विरूद्ध अपराध	आजीवन कारावास या दस वर्ष लिए कारावास और जुर्माना।
93.	379	चोरी	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
94.	380	निर्माण तम्बू या जलपान में चोरी।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
95.	381	क्लर्क या नौकरी द्वारा स्वामी की सम्पत्ति में चोरी	उपरोक्त
96.	382	चोरी करने के लिए हमला करना।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
97.	392	लूट (सूर्य उदय से पहले एवं सूर्य अस्त के बाद) सड़कों पर किया जाने वाला अपराध।	दस वर्ष लिए कठिन कारावास और जुर्माना।

77.	366क	किसी कम उम्र की लड़की का अपहरण करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
78.	366ख	किसी विदेशी लड़की को खरीदना अथवा आयात करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
79.	367	किसी व्यक्ति का दासत्व के लिए अपहरण करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
80.	368	किसी अपहृत व्यक्ति को छिपाना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
81.	369	किसी बच्चे को सम्पत्ति हथियाने के उद्देश्य से अपहरण करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
82.	377	दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना अथवा बेचना।	उपरोक्त
83.	371.	नौकरी के साथ अमानवीय व्यवहार करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
84.	372	वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचना या भाड़े पर देना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
85.	373	वेश्यावृत्ति के लिए सम्पत्ति का खरीदना या बेचना।	उपरोक्त
86.	374	गैर कानूनी रूप से मजदूरी कराना व लेना।	एक वर्ष के लिए कारावास व जुर्माना या दोनों।
87.	376	बलात्कार	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		किसी पुरूष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का उदय

आज के समय में जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूट, कत्ल, अपराध भारी संख्या में हो रहे हैं और पुलिस तथा हमारा प्रशासकीय तंत्र यह सब जानते हुए भी अंधा और मूक बना हुआ है। वहीं अपराधों से त्रस्त, परेशान, दु:खी भारत का स्वतंत्र नागरिक भारत के कानूनों में अपनी सुरक्षा की तलाश कर रहा है लेकिन अनपढ़ और अज्ञानता के कारण वह कोई हल नहीं ढूँढ पाता है और ताउम्र चनों में घुन की तरह पिसता रहता है और हमारा सुसुक्त प्रशासन अपराधों से त्रस्त नागरिकों को कोई सहारा नहीं दे पाता है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हुए एक आम नागरिक को भय लगता है कि कहीं वह किसी और पचड़े में न पड़ जाये इन्हीं सब कारणों से ऐसे समय में समाजसेवा में रूचि रखने वाले समाज सेवी श्री के.पी. गौतम ने विचार बनाया कि क्यों न ऐसा एक संगठन बनाया जाये जो अखिल भारतीय स्तर का हो और जिसका मूल उद्देश्य अपराधी तथा अपराध मुक्त समाज, जनहित के कार्य करना तथा जनता को उसके मौलिक अधिकारों के हित में जाग्रत करना हो इसी विचारधारा को लेकर के.पी. गौतम ने कानूनी विद्वानों तथा समाजसेवकों से इस बाबत बात की जिसका समर्थन सभी समाजसेवा का कार्य करने वालों ने किया। जिसमें श्री कामता प्रसाद गौतम, इं. शिव शंकर कौशल, श्रीमती बीना गुप्ता, श्री मान सिंह बघेल, श्री अन्सार खान गुड्डू, श्री ईश्वर दयाल सागर, डॉ. अनिल गौतम आदि मुख्य रूप से सम्मिलित थे। इस प्रकार 15 अप्रैल 2014 को एक संगठन **(NGO)** का जन्म हुआ जिसका नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण रखा गया। इस संगठन को दिल्ली में सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। संगठन के नियम एवं उपनियम बनाये गये। इसकी शाखाएं समस्त भारत में खोलने की प्रक्रिया जारी है तथा जो शाखाएं खुल चुकी हैं वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कर रही हैं। इस संगठन के जन्मदाता श्री के.पी. गौतम को अनेकों प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसका सामना उन्होंने बड़ी सूझबूझ और सुव्यवस्थित ढंग से किया और अन्त में विजयी हुये। श्री के.पी. गौतम कथनी में कम और करनी में अधिक विश्वास रखते हैं इसी कारण **(NGO)** के कार्य पारदर्शी रूप से बिना किसी प्रदूषण के एक खास पहचान के साथ सुचारू रूप से चलते रहें इसके लिये विशेष सजग रहते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

प्रिय बन्धुवर,

मानव अधिकारों का क्षेत्र जितना व्यापक है उतना ही पुराना इतिहास भी है जो मानव की उत्पत्ति से ही प्रारम्भ हुआ है। विश्व में समाज की संरचना के साथ ही समाज समुदाय समूह तथा राज्य के संचालन के नियम होते थे उसका मुखिया अपने अधीनस्थ प्राणियों के संरक्षण का उत्तरदायी होता था। वह स्वयं को भी इन नियमों के अन्तर्गत मानता था। हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिये। भूख, गरीबी, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण तथा दमन एवं शोषण से मुक्ति ही मानव अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षण है।

प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्व मानव कल्याण से ओतप्रोत रही है। विश्व मानवतावादी विचारधाराओं वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वेभवन्तु सुखिनः जैसी विश्व कल्याणकारी विचारधाराओं का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ। जो राष्ट्रीय शान्ति का केन्द्र बना। इन्हीं मूल्यों के संरक्षण एवं सर्वमान्य हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ। तभी से 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों की पहली मिसाल है। इसी के बाद मानवाधिकार राष्ट्रीय कानून बन गया और सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार को निम्नवित करने के लिये तथा विकास के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये गये। मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं इन अनुच्छेदों में सम्पूर्ण मानवाधिकारों का वर्णन किया गया। इन्हें मानवता के मैग्नाकारी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों को चार रूपों– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक में प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार संबंधी विधेयक में समानता, शिक्षा, धर्म, समाजिक सुरक्षा, मानव व्यवहार, न्याय, आत्मनिर्णय का अधिकार, तृण और आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के आधार शामिल हैं। बाद में इसमें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

68.	355	किसी व्यक्ति का निरादर या अपमान करने के उद्देश्य से हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
69.	356	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाने वाली सम्पत्ति को चोरी करने के उद्देश्य से हमला अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
70.	357	किसी व्यक्ति को अपहरण करने के उद्देश्य से हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू. जुर्माना या दोनों।
71.	363	अपहरण	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
72.	363क	अपहरण किये गये व्यक्ति को विकलांग करना ताकि उससे भीख मांगने का कार्य कराया जा सके।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
73.	364	हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
74.	346ए	फिरौती मांगने के लिए अपहरण करना।	मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना।
75.	365	किसी व्यक्ति का गुप्त तरीके से अपहरण व गैर कानूनी रूप से रोकना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
76.	366	किसी स्त्री को विवाह के लिए जबरदस्ती अपहरण करना	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

61.	328	जान–बूझकर गलत दवाई देना	उपरोक्त
	332	किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी/अधिकारी) को भयभीत कर ड्यूटी करने से रोकना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
62.	336	इस प्रकार का कार्य करना कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाये।	तीन वर्ष के लिए कारावास या 250 रू. का जुर्माना या दोनों।
	337	किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन में संकट उत्पन्न हो।	छह माह कारावास या 500 रू.जुर्माना या दोनों।
63.	338	वाहन द्वारा मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू जुर्माना या दोनों।
64.	341	किसी व्यक्ति का रास्ता जबरदस्ती रोकना।	एक माह के लिए सादा कारावास या 500 रू. जुर्माना या दोनों।
65.	346	गुप्त स्थान पर बंदी बनाना या गैर कानूनी ढंग से रोकना।	किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास।
66.	363	सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
67.	354	किसी स्त्री को अपमानित करना/लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला अथवा अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

मानवाधिकार संगठन

समस्याओं की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ मानवाधिकारों की देखभाल के लिये अनेक संगठन बने हैं। जो राष्ट्रीय स्तरों पर मानवाधिकारों की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मानवाधिकारों से सम्बन्धित विश्वव्यापी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल बना इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मार्च 1961 को की थी। इस समय लगभग 150 देशों में 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। संगठन को 1977 में नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स भी एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इन दो महत्वपूर्ण संगठनों के अलावा डिफेन्स फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लॉयर्स डॉक्टर सविदआउट वॉड्स आदि संगठन अस्तित्व में आये। युद्धकाल में परेशानियों से निजात दिलाने के लिये रेडक्रॉस नामक संगठन का गठन 1863 में किया गया। इस संगठन को तीन बार 1917, 1944, 1963 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

भारत में मानवाधिकार :

शान्ति का पुजारी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य रहा है इसी आधार पर भारत के संविधान में उन सभी विचारों, उद्देश्यों, मूल्यों, मानकों एवं शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। जिनका जिक्र मानवाधिकार के U.N. चार्टर में है। हमारे संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) मूल अधिकारों की घोषणा करता है और भाग 4 (अनुच्छेद 36–51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों बाद तक जनप्रतिनिधियों एवं इनके सलाहकार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मानव संरक्षण कानून बनाने जैसे आम मुद्दों की तरफ नहीं गया। वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारी गणतंत्र सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन महामहिम राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही 1994 में एक अधिनियम पारित कर राज्यों में मानवाधिकार आयोग और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्राविधान किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन और उल्लघन के मामलों की जाँच स्वयं या किसी के द्वारा की गयी शिकायत पर करता है। उ.प्र. में

राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत है तथा कुछ राज्यों में अभी इसका गठन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तथा अन्य सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का अभ्युदय :

हमारे प्रदेश में अराजकता, अत्याचार, उत्पीड़न की दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है यहां तक कि मानवाधिकार हनन की श्रेणी में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। ऐसे में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के लिए समर्पित एवं सजग बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक संगठन "राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण" का गठन अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2014 को किया गया। जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजीयन संख्या 1456 एनएफ प्रदान की गयी। इसका गठन सम्पूर्ण भारत वर्ष में करने का अभियान जारी है। सर्वेक्षण की चर्चा में आते ही समाज विरोधी तत्वों, मनमाने नौकरशाहों, दलालों, अत्याचारी पुलिस व दबंगों में तहलका मच गया है। वह अपनी मनमानी में अंकुश लगता देख संगठन का विरोध करने लगे हैं। आम पीड़ित व्यक्ति इसके माध्यम से न्याय उपचार एवं सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा दिन–प्रतिदिन सदस्यों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। मानवाधिकार का हनन मानव का मानव द्वारा ही किया जाता है चाहे वह व्यक्ति दबंग हो या सरकारी लोक सेवक। इसमें विभाग या कुर्सी से कोई मतलब नहीं होता। भ्रष्टाचारी व उत्पीड़नकर्ता चाहे कितने ही सशक्त या उच्च पद पर क्यों न हों, परिवार में उनकी हैसियत एक साधारण अभियोक्ता जैसी होती है तथा उसे व्यक्तिगततौर पर न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस समय उसे मानव उत्पीड़न का अहसास होता है।

50.	311	ठगी करना	आजीवन कारावास और जुर्माना
51.	312	जबरदस्ती गर्भपात कराना अथवा करवाना	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
52.	313	स्त्री की बगैर मर्जी के गर्भपात कराना	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
53.	314	गर्भपात के समय मृत्यु हो जाना	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
54.	315	किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना अथवा जन्म होते ही उसकी मृत्यु करना	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों
55.	318	मृत शरीर के गुप्त सम्मान द्वारा उसके जन्म को छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
56.	323	किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या दोनों।
57.	324	खतरनाक हथियार व साधनों से शारीरिक चोट पहुंचाना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
58.	325	शरीर के किसी भी भाग को खतरनाक ढंग से घायल करना तथा हड्डी का टूटना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
59.	326	खतरनाक हथियारों व साधनों से शरीर को नुकसान पहुंचाना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना
60.	327	सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के लिए अपराध करना।	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना

40.	298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कोई भाषण देना ध्वनि करना या कोई ऐसी वस्तु रखना जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाये।	एक वर्ष के लिए कारावास या दोनों।
41.	302	हत्या	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
42.	303	मृत्युदण्ड मिलने के बावजूद (जेल) में हत्या करना।	मृत्युदण्ड
43.	304ए	उतावलेपन में अथवा लापरवाही से मृत्यु करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
44.	304बी	दहेज के लिए हत्या करना।	कम से कम सात वर्ष के कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास तक का हो सकेगा।
45.	305	बच्चा या बड़े व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया जाना।	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
46.	306	आत्महत्या करना या उसके लिए प्रेरित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
47.	307	हत्या करने का प्रयास करना।	उपरोक्त
48.	308	अपराधिक दृष्टि से मानववध कोशिश करना	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
49.	309	आत्महत्या का प्रयास करना।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के उद्देश्य

1. अपराध एवम् अपराधियों से मुक्त समाज।
2. समाज व देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना।
3. सामाजिक समस्याओं का निदान।
4. नागरिकों को कानूनी अधिकार एवम् उचित न्याय दिलाना।
5. कौमी एकता एवं आपसी भाईचारा कायम करना।
6. राष्ट्र विरोधी तत्वों व रिश्वत खोरी को समाप्त करना।
7. महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान दिलाना।
8. निर्दोषों को मुक्त करवाना व दोषियों को पकड़वाना।
9. पुलिस का भय आम जनता के मन से निकाल कर सही तालमेल व सूझ–बूझ कायम करना।
10. निर्धन एवं विधवा महिलाओं को कानूनी सलाह एवं मुफ्त सहायता उपलब्ध कराना।
11. किसी भी प्रकार के अपराध को समाप्त करने के लिए संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपराधों को रोकना।
12. आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाना।
13. राष्ट्रीय हित एवम् जनहित में कार्य करना।
14. भारत के संविधान में लिखित एवम् मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना।

दिशा–निर्देश

1. उत्तर प्रदेश मण्डल, जिला, तहसील, ब्लाक के अध्यक्ष द्वारा महीने में दो बैठकों का आयोजन कराना अनिवार्य है जिसकी रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय एवं कैम्प कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

2. सभी संगठन सचिवों को निर्देशितकिया जाता है कि क्षेत्र एवं बाहर से फार्म भरते हैं तो बिना जिला अध्यक्ष की अनुमति के फार्म आगे न भेजें।

3. सभी फार्मों को रजिस्टर में अंकित करें महासचिव बैठक की एवं सभी पदाधिकारियों की पूर्ण जानकारी रजिस्टर द्वारा कैम्प कार्यालय में दाखिल करेंगे।

4. कोई भी पदाधिकारी लैटर हैड, मोहर व बैनर आदि सामिग्री को छपवाने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

5. सभी कोषाध्यक्ष अपने रजिस्टर द्वारा आय–व्यय का ब्यौरा देंगे एवं जिले व मण्डल में एनजीओ के नाम से खाता खुलवायेंगे।।

6. कार्यक्रम सचिव बैठक होने से पहले पूर्ण सामान की जिम्मेदारी समझें।

7. सामान लेने से पहले रेट लिस्ट लें व बिल प्राप्त कर अध्यक्षों को जमा करायें।

8. फार्म स्वतः प्रार्थी भरेगा तथा अपना पता, मोबाइल नं., पद आदि साफ लिखें।

9. फार्म के साथ शपथ पत्र दस रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर भेजें। इसके बिना फार्म स्वीकार नहीं होगा एवं सहयोग राशि साथ में अनिवार्य है।

10. कोई भी पदाधिकारी बिना लिखित सूचना प्राप्त किये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगा अगर कोई करता है तब वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

33.	281	भय पैदा करने वाले लाईट चिन्हों का प्रयोग अथवा प्रदर्शन	सात वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।
34.	290	मानव जीवन को संकट पैदा करना।	दो सौ रूपये का जुर्माना
35.	292	अश्लील पुस्तकों की बिक्री करना	प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना और द्वितीय या पश्चातत्वर्ती दोषसिद्धि पर सात वर्ष का कारावास या पाँच हजार रू. का जुर्माना।
36.	293	छोटी उम्र के बच्चों को अश्लील पुस्तकें बेचना।	प्रथम दोष सिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, सात वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रूपये का जुर्माना।
37.	294	अश्लील गाने गाना	तीन मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
38.	294क	लाटरी कार्यालय रखना या लाटरी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकाशन करना।	एक हजार रूपये का जुर्माना।
39.	295	किसी वर्ग के कार्य का अपमान करना उपासना के सम्मान अथवा पवित्र वस्तु को नष्ट/नुकसान/अपवित्र करना	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

21.	171झ	चुनाव खर्च का लेखा–जोखा न रखना।	पाँच सौ रूपये का जुर्माना।
22.	193	अदालत में झूठी सूचना देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
23.	203	किसी अपराध के विषय में झूठी सूचना देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
24.	209	अदालत में झूठा दावा डालना।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
25.	212	अपराधी को छुपाना।	पाँच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
26.	216 216क	लुटेरे व डाकुओं को छुपाना जो जेल से भागा हो।	सात वर्ष के लिए कारावास जुर्माना।
27.	228	न्यायिक कार्यवाही के लिए बैठे किसी भी अधिकारी का अपमान अथवा उसकी कार्यवाही में बाधा पहुँचाना	छह मास के लिए सादा कारावास। एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।
28.	228क	न्यायालय की बिना पूर्व अनुमति के किसी कार्यवाही को छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों।
29.	264	तौलने के बट्‌टे इत्यादि का दोषपूर्ण होना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
30.	273	यह जानते हुए भी कि खाद्य और पेय बेचने योग्य नहीं है इसके बावजूद बेचना।	छह मास के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों।
31.	277	जनता के पानी स्रोत को दूषित करना	तीन मास के लिए कारावास या पाँच सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
32.	279	रोड पर गलत ढंग से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे व्यक्ति का जीवन संकटमें हो जाये।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।

11. कोई भी सदस्य या पदाधिकारी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहेगा तो उसको एनजीओ से बाहर निकाल दिया जायेगा।

12. कोई भी अधिकारी या सदस्यगण किसी दुर्बल, असहाय, गरीब व्यक्ति से भ्रष्टाचार करता पाया जाता है तो एनजीओ तुरन्त ही कार्यवाही करने के लिये तत्पर रहेगा।

13. जिला पदाधिकारी पहले प्रार्थी से प्रार्थना पत्र लेवे तथा दस रूपये का स्टाम्प, एक फोटो लेने के बाद ही कानूनी कार्यवाही करे।

14. कोई पदाधिकारी एनजीओ के बिना दिशा–निर्देशों से बाहर कार्य न करे अगर दिशा–निर्देशों के बाहर कार्य करता है तो एनजीओ उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेगी।

15. सभी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सलाहकार बोर्ड की सहमति से लेंगे जिसमें कम से कम पाँच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आज्ञा से

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

राष्ट्रीय सदस्य बनने के लिये औपचारिकताएं

1. भारत का नागरिक हो।
2. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. पहचान पत्र /राशन कार्ड /पासपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि / सरकारी कर्मचारी का परिचय पत्र / शपथ पत्र।
4. चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
5. वार्षिक सहयोग राशि रुपये 501/– प्रत्येक सदस्य। (समय–समय पर जिसका पुर्ननिर्धारण किया जा सकता है)।
6. निर्धारित फार्म पूर्ण रूप से भरकर तथा जिस शाखा के आप सदस्य बन रहे हैं उस शाखा के शाखा अध्यक्ष से फार्म को अग्रसारित करवाकर मुख्य कार्यालय में स्वयं या डाक के द्वारा भिजवाया जा सकता है।

11.	153क	बलवा के बीच शत्रुता पैदा करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों।
12.	153ख	राष्ट्रीय एकता पर प्रतिरूप प्रभाव डालने वाला भाषण देना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों।
13.	154	बलवे की सूचना न देना।	एक हजार रूपये का जुर्माना।
14.	157	गैर कानूनी रूप से भाड़े पर लाये गये व्यक्तियों को आश्रय देना अथवा छुपाना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
15.	158	गैर कानूनी रूप से लाये गये बलवे में भाग लेना/ जुर्माना शस्त्रों/ का इस्तेमाल करना।	एक हजार रूपये का या छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
16.	160	दंगा करना।	एक माह के लिए कारावास या दो सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
17.	171	किसी अपराध के उद्देश्य से सरकारी वर्दी धारण करना।	तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
18.	171डी	रिश्वत लेना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना।
19.	171च	निर्वाचन में गैर कानूनी रूप से असर डालना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
20.	171छ	निर्वाचन (चुनाव) के सिलसिले में झूठे भाषण देना।	जुर्माना।

भारतीय दण्ड विधान की मुख्य धाराएँ एवं अपराध

क्र.	धारा	विवरण	सजा
1.	143	गैर कानूनी रूप से लोगों का एकत्रित होना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
2.	144	खतरनाक हथियार लेकर लोगों का एकत्रित होना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
3.	145	गैर कानूनी रूप से आदेश के बावजूद इकट्ठा होना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
4.	147	बलवा करना (दंगा)	उपरोक्त
5.	148	खतरनाक हथियारों से दंगा करना	उपरोक्त
6.	149	गैर कानूनी रूप से एकत्रित लोगों द्वारा अपराध किया जाता है तो भीड़ का हर सदस्य अपराध की श्रेणी में आता है।	उपरोक्त
7.	150	पैसे के द्वारा अर्थात् भाड़े पर बुलाकर लोगों को गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्रित करना।	उपरोक्त
8.	151	पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों के आदेश के बावजूद एकत्रित होना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
9.	152	सरकारी कर्मचारी जब दंगे को रोक रहा हो उस पर हमला करना अथवा उसके कार्य में बाधा डालना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
10.	153	दंगा कराने के उद्देश्य से किया गया कार्य	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

कैसे बनें सदस्य

इसका सदस्य बनने के लिए कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसका सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है कि आप–

1. भारत का नागरिक हो।
2. उम्र 18 वर्ष से कम न हो।
3. दिवालिया एवं विक्षिप्त (पागल) न हो।
4. भारतीय संविधान में तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के विधान में आस्था रखता हो।
5. नि:स्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की इच्छा शक्ति रखता हो।
6. **(R.M.S.)** का सदस्य बनने के लिए सरकारी नौकरी बाधा नहीं है।

संगठन चार्ट

प्रदेश, मंडल, जिला, नगर, तहसील, विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर समितियों का स्वरूप निम्नवत होगा। जिसका आवश्यक्तानुसार अध्यक्ष की स्वीकृति से घटाया–बढ़ाया जा सकता है।

कार्यकारिणी समितियाँ :–

1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	4
3.	महासचिव	1
4.	संगठन सचिव	4
5.	कार्यक्रम सचिव	4
6.	मीडिया सचिव	4
7.	विधि सचिव	4
8.	कोषाध्यक्ष	1
9.	प्रवक्ता	1
10.	मीडिया प्रभारी	1
11.	संयुक्त सचिव	1

समितियों का स्वरूप

थाना ब्लाक न्याय स्तर पर समितियों का स्वरूप निम्नवत होगा :–

1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	1
3.	सचिव	1
4.	सदस्य	4

16. थाने में पूछताछ के दौरान आने वाली समस्त महिलाओं के साथ अभद्र तथा अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विशेष रूप से बलात्कार की शिकार महिला के साथ जो पहले से ही मानसिक व शारीरिक वेदना से पीड़ित होती है के साथ उच्च कोटि संवेदनशीलता का परिचय दिया जायेगा और जहाँ तक संभव हो उनकी रिपोर्ट महिला पुलिस द्वारा लिखी जायेगी और यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम महिला आरक्षी की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

17. बलात्कार से पीड़ित महिला का बयान उसके किसी पुरुष रिश्तेदार की उपस्थिति में लिया जायेगा एवं उसे चिकित्सीय जाँच के लिये भेजते समय भी उसके किसी पुरुष रिश्तेदार की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यह संभव न हो तो महिला पुलिसकर्मी के साथ को सुनिश्चित किया जायेगा।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

18. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चिम किया जायेगा।

(अनुच्छेद 21 भा.द.सं.)

19. श्रमिकों की समस्याओं विशेषकर उनकी महिलाओं को उनकी संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा।

(पुलिस रेगूलेशन)

संकलनकर्ता
राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

8. पुलिस रिमाण्ड में लिये गये व्यक्ति का 48 घंटों में चिकित्सा परीक्षण अवश्य कराया जायेगा।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

9. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यदि गिरफ्तारी के दौरान हल्की या गहरी चोट आती है तो ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा और परीक्षण मीमो तैयार कराई जायेगी। जिस पर अभियुक्त तथा पुलिसकर्मी दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

10. प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बाद अपने परिचित को स्थानीय टेलीफोन की सुविधा है तो टेलीफोन कराया जायेगा, टेलीफोन उपलब्ध न होने पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना पत्र द्वारा दी जायेगी।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

11. यदि पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की जायेगी।

(मा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

12. यदि किसी अपराधी से कोई बरामदगी की जाती है तो उसकी रसीद अवश्य दी जायेगी तथा कुर्क किये गये सामान की सुरक्षा भी की जायेगी।

(धारा 51 के अन्तर्गत) द.प्र.सं.

13. यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा आपराध कारित किया है जो जमानतीय है तो थाने पर उसकी जमानत, यदि कोई अन्यथा कारण न हो तो ली जायेगी।

(धारा 137) द.प्र.सं.

14. पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करते समय अपनी वर्दी पर अपने नाम की पट्टी धारण करना आवश्यक है।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश)

15. किसी भी महिला को थाने पर अकारण नहीं रोका जायेगा।

(पुलिस रेगूलेशन)

सहायता समितियाँ

प्रत्येक समितियों के प्रमुख, उप प्रमुख सचिव 1–1 तथा 7 सदस्य होंगे।

1. प्रमुख अल्पसंख्यक संरक्षण
2. प्रमुख बाल संरक्षण
3. प्रमुख अनुसूचित जनजाति
4. प्रमुख प्रशासनिक संरक्षण
5. प्रमुख वृद्धावस्था संरक्षण
6. प्रमुख विकलांग संरक्षण
7. प्रमुख स्वाथ्य संरक्षण
8. प्रमुख पुलिस संरक्षण
9. प्रमुख श्रमिक संरक्षण
10. प्रमुख शैक्षिक संरक्षण

जाँच दलों का गठन

निम्नलिखित स्थलों पर जाँच दल गठित किये जायेंगे। प्रत्येक जाँच दल में प्रभारी, उप प्रभारी एवं रिपोर्टर 1–1 तथा 8 सदस्य जाँचकर्ता होंगे।

1. राष्ट्रीय जाँच दल
2. प्रदेश जाँच दल
3. मण्डल जाँच दल
4. जनपद जाँच दल
5. तहसील जाँच दल
6. सरकारी विभागीय जाँच दल
7. जेल विभाग जाँच दल
8. थाना जाँच दल
9. शिक्षा विभाग जाँच दल
10. प्राईवेट विभाग जाँच दल

सलाहकार बोर्ड

1. श्री जयन्ती प्रसाद शर्मा (पूर्व उ.प्र. पुलिस)
2. डॉ. अनिल गौतम (सीनियर होम्योपैथ)
3. श्री सूरजपाल सिंह मलिक (पूर्व एस.एस.आई, यू.पी. पुलिस)
4. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान एडवोकेट (हाईकोर्ट, इलाहाबाद)
5. श्री जितेन्द्र कुमार जैन (सी.एम.ओ., कार्यालय)
6. इंजी श्री देव प्रकाश (एक्स. चीफ इंजी. सिंचाई विभाग)
7. श्री वेद प्रकाश शर्मा (मनीषी)

जुझारू दस्ता

प्रत्येक स्तर पर जुझारू एव वाकई ईमानदार व्यक्तियों को इस दस्ते में योग्यतानुसार शामिल कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जय भारत *जय मानवाधिकार*

पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण

1. थाने पर जो भी पीड़ित आये उसकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जायेगी। और समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

   (पुलिस रेगुलेशन)

2. थाने पर लाये व्यक्ति के साथ मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जायेगा।

   (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

3. यदि किसी व्यक्ति को थाने पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है तो उचित यात्रा व्यय दिया जायेगा।

   (धारा 160)2 सी.आर.पी.सी. दण्ड प्रकिया संहिता)

4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जायेगा तथा उसकी रुचि की विधि, व्यवसाई से परामर्श करने और प्रतिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जायेगा।

   (धारा 150 दण्ड प्रकिया संहिता)

5. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा।

   (धारा 12167) द.प्र.सं.

6. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जब थाने में हिरासत में रखा जाये तो उन्हें नियमानुसार भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

   (पुलिस रेगूलेशन)

7. हिरासत में लिये गये व्यक्ति, विचाराधीन बंदी को न्यायालय में पेश करते समय, कारागार ले जाते समय अथवा एक कारागार से दूसरे कारागार में स्थानान्तरण पर ले जाते समय हथकड़ी नहीं लगाई जायेगी जब तक कि संबंधित न्यायालय से हथकड़ी लगाये जाने की अनुमति प्राप्त न कर ली जाये।

   (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

भारतीय जनता पार्टी

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
पूर्व संसद सदस्य
लोकसभा एवं राज्य सभा

44, एम.आई.जी.
न्यू शाहगंज, आगरा
दूरभाष : 0562-2213422

प्रिय श्री इंजी. शिवशंकर कौशल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि मानवाधिकार सर्वेक्षण पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। संस्था मानव अधिकारों से संरक्षण का कार्य कर रही है। पत्रिका के प्रकाशन से मानव अधिकारों के हनन में कमी आयेगी।

शुभकामनाओं सहित!

सादर!

भवदीय

130.	504	शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी को अपमानित करना	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
131.	505	झूठे भाषण या भड़काऊ भाषण देना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
132.	506	धमकी देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
133.	507	अनाम धमकियाँ देना।	ऊपर की धारा के अधीन दण्ड के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों।
134.	508	जबरदस्ती किसी को प्रसाद इत्यादि खिलाना।	एक वर्ष के लिए सादा सादा कारावास, जुर्माना या दोनों।
135.	509	किसी स्त्री का अनादर करना तथा कोई अंग पकड़ना।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों।

जारीकर्ता–
मानवाधिकार सर्वेक्षण कानूनी सलाहकार

119.	449	मृत्यु करने के उद्देश्य से किसी घर पर जबरदस्ती घुसना।	आजीवन कारावास या या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
120.	456	रात्रि के समय जबरदस्ती घुसना अथवा गृह का भेदन।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
121.	465	धोखधड़ी।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
122.	477	झूठे बिल बनाना या नष्ट करना।	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
123.	477	झूठे एकाउन्ट पेश करना अथवा बनाना।	सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
124.	490	प्रकाशन का नाम व पता बताने पर इन्कार करना।	200 रू. का जुर्माना।
125.	493	किसी पुरूष द्वारा बिना विधि पूर्वक शादी करना तथा उसे विश्वास में लेकर सहवास करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
126.	494	पति अथवा पत्नी के होते हुए दोबारा शादी करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
127.	498	विवाहित सभी को अपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या गैर कानूनी रूप से रोकना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
128.	498क	विवाहित स्त्री के प्रति क्रूर या अमानवीय व्यवहार करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
129.	500	मान–हानि।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

Gautam's
Renal Stone, Skin & Chronic Diseases Centre
ADVANCE HOMOEOPATHY
Dr. Anil Gautam
D.H.M.S.

प्रिय श्री इंजी. शिवशंकर कौशल
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण ने एक अनूठे संगठन की तरह कदम रखा है जो कि मानवीय मूल्यों की जानकारी एवं सुरक्षा के लिए सतत् प्रयास कर रहा है। इससे जुड़े समाज के सभी वर्ग एवं धर्मो के लोग देश के सभी व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों के हनन की सुरक्षा के लिए पूर्णतः मन एवं संसाधनों से सेवा कार्य में जुटे रहने के लिए तत्पर हैं। जहाँ पर भी वे मानवीय मूल्यों का हनन एवं उल्लंघन होते हुए पाते हैं। अपने स्तर पर त्वरित कार्य में जुट जाते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि हम सभी एकजुट होकर अपने संगठन के दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे और मानव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होंगे।

भवदीय

अपील

अन्त में राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण समाज के प्रबुद्धजनों, डाक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों, उच्च पदाधिकारी वकीलों, न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों, समाजसेवियों, पत्रकारों से अपील करता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये तथा गरीब, बेसहारा, मासूमों मजलूमों को उत्पीड़न से संरक्षा–सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में चल रहे हमारे इस पवित्र अभियान में शरीक होकर मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करें।

संगठन में हर स्तरों पर कार्यकर्ता गठन प्रक्रिया चल रही है तथा मानवीय सदस्यों को उनकी योग्यता, कार्यक्षमता, उपयोगिता के आधार पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही है। जिससे यह लोग जनता को जागरूक करके उनके अधिकारों की शान्तिपूर्ण न्यायिक लड़ाई को लड़ सकें। आप सभी हमारे साथ जुड़ें आपका हार्दिक स्वागत है।

के.पी. गौतम
(राष्ट्रीय संगठन सचिव)
राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

109.	413	चोरी के माल को बेचना अथवा खरीदना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
110.	414	चोरी के माल को छिपाना	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
111.	419	चीटिंग, छल, ठगी करना।	तीन वर्ष के के लिए कारावास या जुर्माना और दोनों।
112.	420	जाली कागजात तैयार करना कागजातों में फेर बदल करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
113.	421	लेनदारों में बंटवारा करने के लिए सम्पत्ति का छल द्वारा छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
114.	426	बुरा बर्ताव व बदसलूकी।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
115.	427	50 रूपये या उससे अधिक का नुकसान पहुंचाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
116.	428	10 रूपये या उससे अधिक मूल्य के जीव–जन्तु का वध करने के लिए जहर देना या विकलांग करना।	उपरोक्त।
117.	447	अपराधिक उद्देश्य से जबरदस्ती किसी परिसर में प्रवेश करना।	तीन माह के लिए कारावास या 500रू. का जुर्माना।
118.	448	घर पर जबरदस्ती कब्जा करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू. का जुर्माना या दोनों।

98.	393	लूट करने का प्रयत्न।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
99.	394	लूट करने के उद्देश्य से शारीरिक चोट पहुंचाना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
100.	395	डकैती।	उपरोक्त।
101.	396	डकैती में हत्या।	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
102.	397	हत्या, लूट व डकैती।	सात वर्ष से कम न होने वाला कठिन कारावास।
103.	398	खतरनाक हथियार लेकर लूट या डकैती करने की कोशिश।	उपरोक्त।
104.	399	डकैती की योजना अथवा तैयारी।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
105.	400	गैंग डकैती संगठित अपराध	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
106.	401	गैंग चोरी	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
107.	402	डकैती करने के उद्देश्य से पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना। चुराई गई सम्पत्ति को जानने बाद भी कि वह चुराई गई सम्पत्ति है उसे प्राप्त करना।	सात वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना।

वंदे मातरम्

वन्दे मातरम्! वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज्–शीतलाम्॥

शस्य–श्यामलां मातरम्।

वन्दे मातरम्॥

शुभ्रज्योत्स्ना – पुलकित – यामिनीम्।

फुल्लुकुसुमित – द्रुमदल – शोभिनीम्॥

सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम्,

वन्दे मातरम्॥

कोटि–कोटि कण्ट– कलकल – विनाद करो।

द्वित्रिशत्कोटिभुजैर्धृतखरकरवाले॥

अबला केन मा एत बले।

बहुबलधारिणी नमामि तारिणीम्॥

रपुदलवारिणी मातरम्।

वन्दे मातरम्॥

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण गान

ना भ्रष्टाचार करेंगे कभी और न ही करने देंगे हम
अपराध–मुक्त समाज भारत माँ को देंगे हम
प्रताड़ित करना व प्रताड़ना सहना दोनों मानवता के है खिलाफ
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

कण–कण में फैला भ्रष्टाचार हर पग पर मिलता दुराचार
यह करनी है हम सबकी, यह कमी भी है हम सबकी
उठो, चेतो, जागो, जगाओ, नव क्रान्ति की जोत जलाओयह है
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

हमें भेद–भाव मिटाना है हमें सबको गले लगाना है
नफरत के काँटों को मिटा, हमें प्यार के फूल खिलाना है
अलगाववाद को जड़ से खोद भाईचारे का स्वर्ग सजाना है
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

यह काम तो है बहुत कठिन, करने होंगे हमें लाखों जतन
हम निश्चय ही होंगे कामयाब, पक्की है हमारी निष्ठा लगन
UDHR के सिंहनाद में सब अपना कंठ मिलाओ
यह है मानवाधिकार, यह है मानवाधिकार।

88.	376क	अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
89.	376ख	सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में रखी गयी स्त्री के साथ संभोग करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
90.	376ग	जेल प्रति प्रेक्षणगृह के कार्यालय अधीक्षक एव अधीक्षिका द्वारा संभोग कराना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
91.	376घ	किसी अस्पताल के प्रबन्धक आदि द्वारा किसी स्त्री के साथ संभोग करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
92.	377	प्राकृतिक विरूद्ध अपराध	आजीवन कारावास या दस वर्ष लिए कारावास और जुर्माना।
93.	379	चोरी	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
94.	380	निर्माण तम्बू या जलपान में चोरी।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
95.	381	क्लर्क या नौकरी द्वारा स्वामी की सम्पत्ति में चोरी	उपरोक्त
96.	382	चोरी करने के लिए हमला करना।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
97.	392	लूट (सूर्य उदय से पहले एवं सूर्य अस्त के बाद) सड़कों पर किया जाने वाला अपराध।	दस वर्ष लिए कठिन कारावास और जुर्माना।

77.	366क	किसी कम उम्र की लड़की का अपहरण करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
78.	366ख	किसी विदेशी लड़की को खरीदना अथवा आयात करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
79.	367	किसी व्यक्ति का दासत्व के लिए अपहरण करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
80.	368	किसी अपहृत व्यक्ति को छिपाना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
81.	369	किसी बच्चे को सम्पत्ति हथियाने के उद्देश्य से अपहरण करना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
82.	377	दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना अथवा बेचना।	उपरोक्त
83.	371.	नौकरी के साथ अमानवीय व्यवहार करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
84.	372	वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचना या भाड़े पर देना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
85.	373	वेश्यावृत्ति के लिए सम्पत्ति का खरीदना या बेचना।	उपरोक्त
86.	374	गैर कानूनी रूप से मजदूरी कराना व लेना।	एक वर्ष के लिए कारावास व जुर्माना या दोनों।
87.	376	बलात्कार	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
		किसी पुरूष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का उदय

आज के समय में जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूट, कत्ल, अपराध भारी संख्या में हो रहे हैं और पुलिस तथा हमारा प्रशासकीय तंत्र यह सब जानते हुए भी अंधा और मूक बना हुआ है। वहीं अपराधों से त्रस्त, परेशान, दु:खी भारत का स्वतंत्र नागरिक भारत के कानूनों में अपनी सुरक्षा की तलाश कर रहा है लेकिन अनपढ़ और अज्ञानता के कारण वह कोई हल नहीं ढूँढ पाता है और ताउम्र चनों में घुन की तरह पिसता रहता है और हमारा सुसुक्त प्रशासन अपराधों से त्रस्त नागरिकों को कोई सहारा नहीं दे पाता है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हुए एक आम नागरिक को भय लगता है कि कहीं वह किसी और पचड़े में न पड़ जाये इन्हीं सब कारणों से ऐसे समय में समाजसेवा में रूचि रखने वाले समाज सेवी श्री के.पी. गौतम ने विचार बनाया कि क्यों न ऐसा एक संगठन बनाया जाये जो अखिल भारतीय स्तर का हो और जिसका मूल उद्देश्य अपराधी तथा अपराध मुक्त समाज, जनहित के कार्य करना तथा जनता को उसके मौलिक अधिकारों के हित में जाग्रत करना हो इसी विचारधारा को लेकर के.पी. गौतम ने कानूनी विद्वानों तथा समाजसेवकों से इस बाबत बात की जिसका समर्थन सभी समाजसेवा का कार्य करने वालों ने किया। जिसमें श्री कामता प्रसाद गौतम, इं. शिव शंकर कौशल, श्रीमती बीना गुप्ता, श्री मान सिंह बघेल, श्री अन्सार खान गुड्डू, श्री ईश्वर दयाल सागर, डॉ. अनिल गौतम आदि मुख्य रूप से सम्मिलित थे। इस प्रकार 15 अप्रैल 2014 को एक संगठन **(NGO)** का जन्म हुआ जिसका नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण रखा गया। इस संगठन को दिल्ली में सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। संगठन के नियम एवं उपनियम बनाये गये। इसकी शाखाएं समस्त भारत में खोलने की प्रक्रिया जारी है तथा जो शाखाएं खुल चुकी हैं वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कर रही हैं। इस संगठन के जन्मदाता श्री के.पी. गौतम को अनेकों प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसका सामना उन्होंने बड़ी सूझबूझ और सुव्यवस्थित ढंग से किया और अन्त में विजयी हुये। श्री के.पी. गौतम कथनी में कम और करनी में अधिक विश्वास रखते हैं इसी कारण **(NGO)** के कार्य पारदर्शी रूप से बिना किसी प्रदूषण के एक खास पहचान के साथ सुचारू रूप से चलते रहें इसके लिये विशेष सजग रहते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

प्रिय बन्धुवर,

मानव अधिकारों का क्षेत्र जितना व्यापक है उतना ही पुराना इतिहास भी है जो मानव की उत्पत्ति से ही प्रारम्भ हुआ है। विश्व में समाज की संरचना के साथ ही समाज समुदाय समूह तथा राज्य के संचालन के नियम होते थे उसका मुखिया अपने अधीनस्थ प्राणियों के संरक्षण का उत्तरदायी होता था। वह स्वयं को भी इन नियमों के अन्तर्गत मानता था। हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिये। भूख, गरीबी, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण तथा दमन एवं शोषण से मुक्ति ही मानव अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षण है।

प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विश्व मानव कल्याण से ओतप्रोत रही है। विश्व मानवतावादी विचारधाराओं वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वेभवन्तु सुखिनः जैसी विश्व कल्याणकारी विचारधाराओं का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ। जो राष्ट्रीय शान्ति का केन्द्र बना। इन्हीं मूल्यों के संरक्षण एवं सर्वमान्य हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र तैयार हुआ। तभी से 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों की पहली मिसाल है। इसी के बाद मानवाधिकार राष्ट्रीय कानून बन गया और सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार को निम्नवित करने के लिये तथा विकास के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये गये। मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं इन अनुच्छेदों में सम्पूर्ण मानवाधिकारों का वर्णन किया गया। इन्हें मानवता के मैग्नाकारी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों को चार रूपों– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक में प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार संबंधी विधेयक में समानता, शिक्षा, धर्म, समाजिक सुरक्षा, मानव व्यवहार, न्याय, आत्मनिर्णय का अधिकार, तृण और आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के आधार शामिल हैं। बाद में इसमें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

68.	355	किसी व्यक्ति का निरादर या अपमान करने के उद्देश्य से हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
69.	356	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाने वाली सम्पत्ति को चोरी करने के उद्देश्य से हमला अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
70.	357	किसी व्यक्ति को अपहरण करने के उद्देश्य से हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना।	एक वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू. जुर्माना या दोनों।
71.	363	अपहरण	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
72.	363क	अपहरण किये गये व्यक्ति को विकलांग करना ताकि उससे भीख मांगने का कार्य कराया जा सके।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
73.	364	हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।
74.	346ए	फिरौती मांगने के लिए अपहरण करना।	मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना।
75.	365	किसी व्यक्ति का गुप्त तरीके से अपहरण व गैर कानूनी रूप से रोकना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
76.	366	किसी स्त्री को विवाह के लिए जबरदस्ती अपहरण करना	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

61.	328	जान–बूझकर गलत दवाई देना	उपरोक्त
	332	किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी) को भयभीत कर ड्यूटी करने से रोकना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
62.	336	इस प्रकार का कार्य करना कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाये।	तीन वर्ष के लिए कारावास या 250 रू. का जुर्माना या दोनों।
	337	किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन में संकट उत्पन्न हो।	छह माह कारावास या 500 रू.जुर्माना या दोनों।
63.	338	वाहन द्वारा मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या 1000 रू जुर्माना या दोनों।
64.	341	किसी व्यक्ति का रास्ता जबरदस्ती रोकना।	एक माह के लिए सादा कारावास या 500 रू. जुर्माना या दोनों।
65.	346	गुप्त स्थान पर बंदी बनाना या गैर कानूनी ढंग से रोकना।	किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास।
66.	363	सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
67.	354	किसी स्त्री को अपमानित करना/लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला अथवा अपराधिक बल का प्रयोग करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

मानवाधिकार संगठन

समस्याओं की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ मानवाधिकारों की देखभाल के लिये अनेक संगठन बने हैं। जो राष्ट्रीय स्तरों पर मानवाधिकारों की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मानवाधिकारों से सम्बन्धित विश्वव्यापी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल बना इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी शुरूआत एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनसन ने 28 मार्च 1961 को की थी। इस समय लगभग 150 देशों में 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। संगठन को 1977 में नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हयूमन राइट्स भी एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इन दो महत्वपूर्ण संगठनों के अलावा डिफेन्स फॉर चिल्ड्रेन इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लॉयर्स डॉक्टर सविदआउट वॉड्स आदि संगठन अस्तित्व में आये। युद्धकाल में परेशानियों से निजात दिलाने के लिये रेडक्रॉस नामक संगठन का गठन 1863 में किया गया। इस संगठन को तीन बार 1917, 1944, 1963 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

भारत में मानवाधिकार :

शान्ति का पुजारी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य रहा है इसी आधार पर भारत के संविधान में उन सभी विचारों, उद्देश्यों, मूल्यों, मानकों एवं शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। जिनका जिक्र मानवाधिकार के U.N. चार्टर में है। हमारे संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) मूल अधिकारों की घोषणा करता है और भाग 4 (अनुच्छेद 36–51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों बाद तक जनप्रतिनिधियों एवं इनके सलाहकार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मानव संरक्षण कानून बनाने जैसे आम मुद्दों की तरफ नहीं गया। वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारी गणतंत्र सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन महामहिम राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही 1994 में एक अधिनियम पारित कर राज्यों में मानवाधिकार आयोग और जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्राविधान किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन और उल्लघन के मामलों की जाँच स्वयं या किसी के द्वारा की गयी शिकायत पर करता है। उ.प्र. में

राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत है तथा कुछ राज्यों में अभी इसका गठन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तथा अन्य सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का अभ्युदय :

हमारे प्रदेश में अराजकता, अत्याचार, उत्पीड़न की दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है यहां तक कि मानवाधिकार हनन की श्रेणी में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। ऐसे में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के लिए समर्पित एवं सजग बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक संगठन "राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण" का गठन अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2014 को किया गया। जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजीयन संख्या 1456 एनएफ प्रदान की गयी। इसका गठन सम्पूर्ण भारत वर्ष में करने का अभियान जारी है। सर्वेक्षण की चर्चा में आते ही समाज विरोधी तत्वों, मनमाने नौकरशाहों, दलालों, अत्याचारी पुलिस व दबंगों में तहलका मच गया है। वह अपनी मनमानी में अंकुश लगता देख संगठन का विरोध करने लगे हैं। आम पीड़ित व्यक्ति इसके माध्यम से न्याय उपचार एवं सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा दिन–प्रतिदिन सदस्यों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। मानवाधिकार का हनन मानव का मानव द्वारा ही किया जाता है चाहे वह व्यक्ति दबंग हो या सरकारी लोक सेवक। इसमें विभाग या कुर्सी से कोई मतलब नहीं होता। भ्रष्टाचारी व उत्पीड़नकर्ता चाहे कितने ही सशक्त या उच्च पद पर क्यों न हों, परिवार में उनकी हैसियत एक साधारण अभियोक्ता जैसी होती है तथा उसे व्यक्तिगततौर पर न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उस समय उसे मानव उत्पीड़न का अहसास होता है।

50.	311	ठगी करना	आजीवन कारावास और जुर्माना
51.	312	जबरदस्ती गर्भपात कराना अथवा करवाना	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
52.	313	स्त्री की बगैर मर्जी के गर्भपात कराना	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
53.	314	गर्भपात के समय मृत्यु हो जाना	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
54.	315	किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना अथवा जन्म होते ही उसकी मृत्यु करना	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों
55.	318	मृत शरीर के गुप्त सम्मान द्वारा उसके जन्म को छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
56.	323	किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या दोनों।
57.	324	खतरनाक हथियार व साधनों से शारीरिक चोट पहुंचाना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
58.	325	शरीर के किसी भी भाग को खतरनाक ढंग से घायल करना तथा हड्डी का टूटना।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
59.	326	खतरनाक हथियारों व साधनों से शरीर को नुकसान पहुंचाना।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना
60.	327	सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने के लिए अपराध करना।	दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना

40.	298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कोई भाषण देना ध्वनि करना या कोई ऐसी वस्तु रखना जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाये।	एक वर्ष के लिए कारावास या दोनों।
41.	302	हत्या	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
42.	303	मृत्युदण्ड मिलने के बावजूद (जेल) में हत्या करना।	मृत्युदण्ड
43.	304ए	उतावलेपन में अथवा लापरवाही से मृत्यु करना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
44.	304बी	दहेज के लिए हत्या करना।	कम से कम सात वर्ष के कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास तक का हो सकेगा।
45.	305	बच्चा या बड़े व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया जाना।	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना
46.	306	आत्महत्या करना या उसके लिए प्रेरित करना।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
47.	307	हत्या करने का प्रयास करना।	उपरोक्त
48.	308	अपराधिक दृष्टि से मानववध कोशिश करना	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
49.	309	आत्महत्या का प्रयास करना।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों।

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के उद्देश्य

1. अपराध एवम् अपराधियों से मुक्त समाज।
2. समाज व देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना।
3. सामाजिक समस्याओं का निदान।
4. नागरिकों को कानूनी अधिकार एवम् उचित न्याय दिलाना।
5. कौमी एकता एवं आपसी भाईचारा कायम करना।
6. राष्ट्र विरोधी तत्वों व रिश्वत खोरी को समाप्त करना।
7. महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान दिलाना।
8. निर्दोषों को मुक्त करवाना व दोषियों को पकड़वाना।
9. पुलिस का भय आम जनता के मन से निकाल कर सही तालमेल व सूझ–बूझ कायम करना।
10. निर्धन एवं विधवा महिलाओं को कानूनी सलाह एवं मुफ्त सहायता उपलब्ध कराना।
11. किसी भी प्रकार के अपराध को समाप्त करने के लिए संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपराधों को रोकना।
12. आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाना।
13. राष्ट्रीय हित एवम् जनहित में कार्य करना।
14. भारत के संविधान में लिखित एवम् मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना।

दिशा–निर्देश

1. उत्तर प्रदेश मण्डल, जिला, तहसील, ब्लाक के अध्यक्ष द्वारा महीने में दो बैठकों का आयोजन कराना अनिवार्य है जिसकी रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालय एवं कैम्प कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

2. सभी संगठन सचिवों को निर्देशितकिया जाता है कि क्षेत्र एवं बाहर से फार्म भरते हैं तो बिना जिला अध्यक्ष की अनुमति के फार्म आगे न भेजें।

3. सभी फार्मो को रजिस्टर में अंकित करें महासचिव बैठक की एवं सभी पदाधिकारियों की पूर्ण जानकारी रजिस्टर द्वारा कैम्प कार्यालय में दाखिल करेंगे।

4. कोई भी पदाधिकारी लैटर हैड, मोहर व बैनर आदि सामिग्री को छपवाने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

5. सभी कोषाध्यक्ष अपने रजिस्टर द्वारा आय–व्यय का ब्यौरा देंगे एवं जिले व मण्डल में एनजीओ के नाम से खाता खुलवायेंगे।।

6. कार्यक्रम सचिव बैठक होने से पहले पूर्ण सामान की जिम्मेदारी समझें।

7. सामान लेने से पहले रेट लिस्ट लें व बिल प्राप्त कर अध्यक्षों को जमा करायें।

8. फार्म स्वतः प्रार्थी भरेगा तथा अपना पता, मोबाइल नं., पद आदि साफ लिखें।

9. फार्म के साथ शपथ पत्र दस रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर भेजें। इसके बिना फार्म स्वीकार नहीं होगा एवं सहयोग राशि साथ में अनिवार्य है।

10. कोई भी पदाधिकारी बिना लिखित सूचना प्राप्त किये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगा अगर कोई करता है तब वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

33.	281	भय पैदा करने वाले लाईट चिन्हों का प्रयोग अथवा प्रदर्शन	सात वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।
34.	290	मानव जीवन को संकट पैदा करना।	दो सौ रूपये का जुर्माना
35.	292	अश्लील पुस्तकों की बिक्री करना	प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना और द्वितीय या पश्चातत्वर्ती दोषसिद्धि पर सात वर्ष का कारावास या पाँच हजार रू. का जुर्माना।
36.	293	छोटी उम्र के बच्चों को अश्लील पुस्तकें बेचना।	प्रथम दोष सिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, सात वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रूपये का जुर्माना।
37.	294	अश्लील गाने गाना	तीन मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
38.	294क	लाटरी कार्यालय रखना या लाटरी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रकाशन करना।	एक हजार रूपये का जुर्माना।
39.	295	किसी वर्ग के कार्य का अपमान करना उपासना के सम्मान अथवा पवित्र वस्तु को नष्ट/नुकसान/अपवित्र करना	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

21.	171झ	चुनाव खर्च का लेखा–जोखा न रखना।	पाँच सौ रूपये का जुर्माना।
22.	193	अदालत में झूठी सूचना देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
23.	203	किसी अपराध के विषय में झूठी सूचना देना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
24.	209	अदालत में झूठा दावा डालना।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
25.	212	अपराधी को छुपाना।	पाँच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
26.	216 216क	लुटेरे व डाकुओं को छुपाना जो जेल से भागा हो।	सात वर्ष के लिए कारावास जुर्माना।
27.	228	न्यायिक कार्यवाही के लिए बैठे किसी भी अधिकारी का अपमान अथवा उसकी कार्यवाही में बाधा पहुँचाना	छह मास के लिए सादा कारावास। एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।
28.	228क	न्यायालय की बिना पूर्व अनुमति के किसी कार्यवाही को छिपाना।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों।
29.	264	तौलने के बट्टे इत्यादि का दोषपूर्ण होना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
30.	273	यह जानते हुए भी कि खाद्य और पेय बेचने योग्य नहीं है इसके बावजूद बेचना।	छह मास के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों।
31.	277	जनता के पानी स्रोत को दूषित करना	तीन मास के लिए कारावास या पाँच सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
32.	279	रोड पर गलत ढंग से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे व्यक्ति का जीवन संकटमें हो जाये।	छह मास के लिए कारावास या एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों।

11. कोई भी सदस्य या पदाधिकारी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहेगा तो उसको एनजीओ से बाहर निकाल दिया जायेगा।

12. कोई भी अधिकारी या सदस्यगण किसी दुर्बल, असहाय, गरीब व्यक्ति से भ्रष्टाचार करता पाया जाता है तो एनजीओ तुरन्त ही कार्यवाही करने के लिये तत्पर रहेगा।

13. जिला पदाधिकारी पहले प्रार्थी से प्रार्थना पत्र लेवे तथा दस रूपये का स्टाम्प, एक फोटो लेने के बाद ही कानूनी कार्यवाही करे।

14. कोई पदाधिकारी एनजीओ के बिना दिशा–निर्देशों से बाहर कार्य न करे अगर दिशा–निर्देशों के बाहर कार्य करता है तो एनजीओ उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेगी।

15. सभी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सलाहकार बोर्ड की सहमति से लेंगे जिसमें कम से कम पाँच सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आज्ञा से

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

राष्ट्रीय सदस्य बनने के लिये औपचारिकताएं

1. भारत का नागरिक हो।

2. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

3. पहचान पत्र /राशन कार्ड /पासपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि / सरकारी कर्मचारी का परिचय पत्र / शपथ पत्र।

4. चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।

5. वार्षिक सहयोग राशि रुपये 501/– प्रत्येक सदस्य। (समय–समय पर जिसका पुर्ननिर्धारण किया जा सकता है)।

6. निर्धारित फार्म पूर्ण रूप से भरकर तथा जिस शाखा के आप सदस्य बन रहे हैं उस शाखा के शाखा अध्यक्ष से फार्म को अग्रसारित करवाकर मुख्य कार्यालय में स्वयं या डाक के द्वारा भिजवाया जा सकता है।

11.	153क	बलवा के बीच शत्रुता पैदा करना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों।
12.	153ख	राष्ट्रीय एकता पर प्रतिरूप प्रभाव डालने वाला भाषण देना।	तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दोनों।
13.	154	बलवे की सूचना न देना।	एक हजार रूपये का जुर्माना।
14.	157	गैर कानूनी रूप से भाड़े पर लाये गये व्यक्तियों को आश्रय देना अथवा छुपाना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
15.	158	गैर कानूनी रूप से लाये गये बलवे में भाग लेना/ जुर्माना शस्त्रों/ का इस्तेमाल करना।	एक हजार रूपये का या छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
16.	160	दंगा करना।	एक माह के लिए कारावास या दो सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
17.	171	किसी अपराध के उद्देश्य से सरकारी वर्दी धारण करना।	तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रूपये का जुर्माना या दोनों।
18.	171डी	रिश्वत लेना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना।
19.	171च	निर्वाचन में गैर कानूनी रूप से असर डालना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
20.	171छ	निर्वाचन (चुनाव) के सिलसिले में झूठे भाषण देना।	जुर्माना।

भारतीय दण्ड विधान की मुख्य धाराएँ एवं अपराध

क्र.	धारा	विवरण	सजा
1.	143	गैर कानूनी रूप से लोगों का एकत्रित होना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
2.	144	खतरनाक हथियार लेकर लोगों का एकत्रित होना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
3.	145	गैर कानूनी रूप से आदेश के बावजूद इकट्ठा होना।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
4.	147	बलवा करना (दंगा)	उपरोक्त
5.	148	खतरनाक हथियारों से दंगा करना	उपरोक्त
6.	149	गैर कानूनी रूप से एकत्रित लोगों द्वारा अपराध किया जाता है तो भीड़ का हर सदस्य अपराध की श्रेणी में आता है।	उपरोक्त
7.	150	पैसे के द्वारा अर्थात् भाड़े पर बुलाकर लोगों को गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्रित करना।	उपरोक्त
8.	151	पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों के आदेश के बावजूद एकत्रित होना।	छह मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
9.	152	सरकारी कर्मचारी जब दंगे को रोक रहा हो उस पर हमला करना अथवा उसके कार्य में बाधा डालना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।
10.	153	दंगा कराने के उद्देश्य से किया गया कार्य	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

कैसे बनें सदस्य

इसका सदस्य बनने के लिए कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसका सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है कि आप–

1. भारत का नागरिक हो।
2. उम्र 18 वर्ष से कम न हो।
3. दिवालिया एवं विक्षिप्त (पागल) न हो।
4. भारतीय संविधान में तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के विधान में आस्था रखता हो।
5. नि:स्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की इच्छा शक्ति रखता हो।
6. **(R.M.S.)** का सदस्य बनने के लिए सरकारी नौकरी बाधा नहीं है।

संगठन चार्ट

प्रदेश, मंडल, जिला, नगर, तहसील, विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर समितियों का स्वरूप निम्नवत होगा। जिसका आवश्यक्तानुसार अध्यक्ष की स्वीकृति से घटाया–बढ़ाया जा सकता है।

कार्यकारिणी समितियाँ :–

1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	4
3.	महासचिव	1
4.	संगठन सचिव	4
5.	कार्यक्रम सचिव	4
6.	मीडिया सचिव	4
7.	विधि सचिव	4
8.	कोषाध्यक्ष	1
9.	प्रवक्ता	1
10.	मीडिया प्रभारी	1
11.	संयुक्त सचिव	1

समितियों का स्वरूप

थाना ब्लाक न्याय स्तर पर समितियों का स्वरूप निम्नवत होगा :–

1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	1
3.	सचिव	1
4.	सदस्य	4

16. थाने में पूछताछ के दौरान आने वाली समस्त महिलाओं के साथ अभद्र तथा अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विशेष रूप से बलात्कार की शिकार महिला के साथ जो पहले से ही मानसिक व शारीरिक वेदना से पीड़ित होती है के साथ उच्च कोटि संवेदनशीलता का परिचय दिया जायेगा और जहाँ तक संभव हो उनकी रिपोर्ट महिला पुलिस द्वारा लिखी जायेगी और यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम महिला आरक्षी की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

17. बलात्कार से पीड़ित महिला का बयान उसके किसी पुरुष रिश्तेदार की उपस्थिति में लिया जायेगा एवं उसे चिकित्सीय जाँच के लिये भेजते समय भी उसके किसी पुरुष रिश्तेदार की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यह संभव न हो तो महिला पुलिसकर्मी के साथ को सुनिश्चित किया जायेगा।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

18. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चिम किया जायेगा।

(अनुच्छेद 21 भा.द.सं.)

19. श्रमिकों की समस्याओं विशेषकर उनकी महिलाओं को उनकी संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा।

(पुलिस रेगूलेशन)

संकलनकर्ता

राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण

8. पुलिस रिमाण्ड में लिये गये व्यक्ति का 48 घंटों में चिकित्सा परीक्षण अवश्य कराया जायेगा।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

9. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यदि गिरफ्तारी के दौरान हल्की या गहरी चोट आती है तो ऐसे व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा और परीक्षण मीमो तैयार कराई जायेगी। जिस पर अभियुक्त तथा पुलिसकर्मी दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

10. प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बाद अपने परिचित को स्थानीय टेलीफोन की सुविधा है तो टेलीफोन कराया जायेगा, टेलीफोन उपलब्ध न होने पर उसकी गिरफ्तारी की सूचना पत्र द्वारा दी जायेगी।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

11. यदि पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की जायेगी।

(मा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

12. यदि किसी अपराधी से कोई बरामदगी की जाती है तो उसकी रसीद अवश्य दी जायेगी तथा कुर्क किये गये सामान की सुरक्षा भी की जायेगी।

(धारा 51 के अन्तर्गत) द.प्र.सं.

13. यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा आपराध कारित किया है जो जमानतीय है तो थाने पर उसकी जमानत, यदि कोई अन्यथा कारण न हो तो ली जायेगी।

(धारा 137) द.प्र.सं.

14. पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करते समय अपनी वर्दी पर अपने नाम की पट्टी धारण करना आवश्यक है।

(मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश)

15. किसी भी महिला को थाने पर अकारण नहीं रोका जायेगा।

(पुलिस रेगूलेशन)

सहायता समितियाँ

प्रत्येक समितियों के प्रमुख, उप प्रमुख सचिव 1–1 तथा 7 सदस्य होंगे।

1. प्रमुख अल्पसंख्यक संरक्षण
2. प्रमुख बाल संरक्षण
3. प्रमुख अनुसूचित जनजाति
4. प्रमुख प्रशासनिक संरक्षण
5. प्रमुख वृद्धावस्था संरक्षण
6. प्रमुख विकलांग संरक्षण
7. प्रमुख स्वाथ्य संरक्षण
8. प्रमुख पुलिस संरक्षण
9. प्रमुख श्रमिक संरक्षण
10. प्रमुख शैक्षिक संरक्षण

जाँच दलों का गठन

निम्नलिखित स्थलों पर जाँच दल गठित किये जायेंगे। प्रत्येक जाँच दल में प्रभारी, उप प्रभारी एवं रिपोर्टर 1–1 तथा 8 सदस्य जाँचकर्ता होंगे।

1. राष्ट्रीय जाँच दल
2. प्रदेश जाँच दल
3. मण्डल जाँच दल
4. जनपद जाँच दल
5. तहसील जाँच दल
6. सरकारी विभागीय जाँच दल
7. जेल विभाग जाँच दल
8. थाना जाँच दल
9. शिक्षा विभाग जाँच दल
10. प्राईवेट विभाग जाँच दल

सलाहकार बोर्ड

1. श्री जयन्ती प्रसाद शर्मा (पूर्व उ.प्र. पुलिस)
2. डॉ. अनिल गौतम (सीनियर होम्योपैथ)
3. श्री सूरजपाल सिंह मलिक (पूर्व एस.एस.आई, यू.पी. पुलिस)
4. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान एडवोकेट (हाईकोर्ट, इलाहाबाद)
5. श्री जितेन्द्र कुमार जैन (सी.एम.ओ., कार्यालय)
6. इंजी श्री देव प्रकाश (एक्स. चीफ इंजी. सिंचाई विभाग)
7. श्री वेद प्रकाश शर्मा (मनीषी)

जुझारू दस्ता

प्रत्येक स्तर पर जुझारू एव वाकई ईमानदार व्यक्तियों को इस दस्ते में योग्यतानुसार शामिल कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जय भारत *जय मानवाधिकार*

पुलिस थानों में मानवाधिकार संरक्षण

1. थाने पर जो भी पीड़ित आये उसकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जायेगी। और समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

(पुलिस रेगुलेशन)

2. थाने पर लाये व्यक्ति के साथ मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जायेगा।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)

3. यदि किसी व्यक्ति को थाने पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है तो उचित यात्रा व्यय दिया जायेगा।

(धारा 160)2 सी.आर.पी.सी. दण्ड प्रकिया संहिता)

4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जायेगा तथा उसकी रुचि की विधि, व्यवसाई से परामर्श करने और प्रतिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जायेगा।

(धारा 150 दण्ड प्रकिया संहिता)

5. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा।

(धारा 12167) द.प्र.सं.

6. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जब थाने में हिरासत में रखा जाये तो उन्हें नियमानुसार भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

(पुलिस रेगूलेशन)

7. हिरासत में लिये गये व्यक्ति, विचाराधीन बंदी को न्यायालय में पेश करते समय, कारागार ले जाते समय अथवा एक कारागार से दूसरे कारागार में स्थानान्तरण पर ले जाते समय हथकड़ी नहीं लगाई जायेगी जब तक कि संबंधित न्यायालय से हथकड़ी लगाये जाने की अनुमति प्राप्त न कर ली जाये।

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश)